स्त्री शिक्षा (Women Education)

भारत जब स्वतन्त्र हुआ उस समय भी स्त्री शिक्षा (Women Education) दयनीय थी। संविधान लागू होने के बाद 1958 ई० में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति' का गठन किया गया समिति के सुझाव पर ही 1959 ई० में 'राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद' का गठन हुआ। महिलाओं की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन हेतु निराकरण हेतु 1962 में 'हंसा मेहता समिति' का गठन हुआ। जिसकी अध्यक्षा श्रीमती हंसा मेहता थी।

→ हंसा मेहता समिति ने बालक तथा बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अन्तर न होने करने का सुझाव दिया।

→ NPE 1986 ने महिलाओं को शैक्षिक अवसर प्रदान करने तथा स्त्री शिक्षा में समानता लाने के लिए सुझाव दिये।

→ आचार्य राममूर्ति समिति 1990 - 300 बालाओं पर प्राथमिक विद्यालय एवं 500 बालाओं पर जूनियर हाई स्कूल स्थापित किये जाएं।

→

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009.
(Right to Education Act - 2009)

(i) **प्रस्तावना** –

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में यह कहा गया है कि " राज्य संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के अन्दर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा।

सरकार द्वारा आगे चलकर 2009 में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम "2009" पास किया गया।

इस अधिनियम को ही "शिक्षा का अधिकार" 2009 कहते है। सरकार ने अप्रैल 2010 में इसे कानून के रूप में लागू किया।

(ii) **क्या है यह अधिनियम** –

(A) इस अधिनियम के द्वारा 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।

(B) संविधान के 86 वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावित बनाया गया है।

(C) सरकारी स्कूल के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंध

RTE के प्रमुख तथ्य

(i) स्कूलों का प्रबन्धन प्रबन्ध समितियों (एस. एम. सी.) द्वारा किया गया।

(ii) गुणवत्ता समेत प्रारम्भिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर निगरानी के लिए ~~एक~~ राष्ट्रीय आयोग बनाया जायेगा।

Date
Page

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य :
(Objectives of RTE Act)

RTE Act के निम्न उद्देश्य हैं —

(i) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।

(ii) प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ (सार्वभौमिक) बनाना।

(iii) देश मे शिक्षा के स्तर को सुधारना।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रो मे (तक) शिक्षा का प्रसार करना

(v) उन क्षेत्रो मे विद्यालय स्थापित करना जहां अभी तक शिक्षा नही पहुँची।

(vi) शिक्षा के प्रति बालको की जिज्ञासा (रुचि) का विकास करना।

(vii) बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना।

(viii) देश मे 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चो को बुनियादी शिक्षा देना।

Scanned with CamScanner